

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर
LNUPE

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत)

Lakshmbai National University
of Physical Education, Gwalior

(under section 3 of the UGC Act, 1956)
Govt. of India, Ministry of Youth Affairs & Sports



भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
शक्ति नगर, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर-474002 (म.प्र.)
Shakti Nagar, Race Course Road, GWALIOR-474002 (M.P.)
Tele: 0751-4000902; Fax: 4000992
Web: http://www.lnupe.gov.in


क्रमांक: ARA/45/2011/ 284 (H)

दिनांक: 25 नवम्बर 2011

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित दिशा-निर्देश बनाने के लिये गठित त्रिसदस्यीय समिति (डॉ. ए.के. दत्ता, डॉ. जी.डी. घई एवं डॉ. जयश्री आचार्या) के द्वारा अनुशासित सिफारिशों के कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त इसे कुलपति महोदय से अनुमति मिलने पर सभी सम्बद्ध विभाग एवं अनुभाग प्रमुखों के पालनार्थ एतद् द्वारा इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी किया जाता है। ये दिशा-निर्देश इस संस्थान के वेबसाइट (Student's Corner) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्राधिकार : कुलपति महोदय का आदेश दिनांक 15.11.2011


(डॉ. एल.एन. सरकार)
कुलसचिव

22.11.11

प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव सचिवालय
3. सभी विभागाध्यक्ष
4. परीक्षा नियंत्रक
5. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
6. शैक्षणिक अनुभाग
7. वेब प्रशासक
8. पंजी